

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर

दिनांक १.३.२१

क्रमांक 1009-15

कार्यालय प्रदेश

सेक्टर फोर गुड गवर्नन्स, एवरीएम शैपा, जयपुर के पत्र क्रमांक एकायर (प्रशिक्षण/सीजीसी/शैपा/2019-20/409 दिनांक 3-3-2021 एवं अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान राज्य हरिश्चन्द्र माण्डू लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक : एफ/शैपा/संस्था/2020/2446 दिनांक 03.03.2021) तहत शैपा जयपुर, शैपा, बीकानेर एवं IOAC राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 17 मार्च 2021 को प्रातः 10 बजे से "कक्ष संख्या 27" में रज्जी गई है। इस कार्यशाला हेतु निम्नलिखित अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	प्रचार्य अथवा उनके द्वारा मनोनीत एक अधिकारी
1	मंगीताल शान्डी राज, महाविद्यालय, नोखा	डॉ. रवीन्द्र मंगल, प्राचार्य
2	राज, महाविद्यालय, बड़वू	डॉ. रजनी सकसेना, प्राचार्य
3	राजकीय महाविद्यालय, छतरगढ	डॉ. विजयश्री गुप्ता, प्राचार्य
4	राजकीय महाविद्यालय, कोलायत	डॉ. शालिनी मूलवन्सनी, प्राचार्य
5	राजकीय महाविद्यालय, श्रीदुर्गरगढ	डॉ. सख्या जैन, प्राचार्य
6	राजकीय महाविद्यालय, वृणकण्ठसर	डॉ. नीरा श्रीवास्तव, प्राचार्य
7	राजकीय महाविद्यालय, देशनोक	डॉ. अनिल कुमार यादव, कार्य प्राचार्य
8	राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीकानेर	डॉ. बी.आर. बिज्जोई, प्राचार्य
8	राजकीय जूजर महाविद्यालय, बीकानेर	डॉ. अरुण कुमार शर्मा, सह आचार्य
9	राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	डॉ. एम.डी. शर्मा, सह आचार्य
10		डॉ. इन्दिरा गोरवानी
11		डॉ. ऋषभ जैन
12		डॉ. श्रुति गोरवामी
13		डॉ. मधु मीणा
14		डॉ. अजन्ता गहलोत
15		डॉ. ललिता यादव
16		डॉ. नीरू गुप्ता
17		डॉ. आशा शर्मा
18		डॉ. रजनी शर्मा
19		डॉ. हनुमान मल देवडा
20		डॉ. निधि अग्रवाल
21		डॉ. अरिस्त गोस्वामी
22		डॉ. कल्पना खण्डेलवाल
23		डॉ. हेमन्त अरोडा
24		डॉ. सुमीता गहलोत
25		डॉ. अजलि शर्मा
26		डॉ. अरुदा
27		डॉ. श्रीकान्त व्यास
28		डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता
29		डॉ. हिमांशु काण्डपाल
30		डॉ. नीलाकर कोहरी
		श्री. अक्षय जोशी

प्रतिनिधि

(डॉ. शिशिर शर्मा)

1. अतिरिक्त निदेशक, सीजीसी, शैपा, जयपुर।

2. अतिरिक्त निदेशक, हरिश्चन्द्र माण्डू लोकप्रशासन संस्थान, बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त अधिकारियों के नाम प्रशिक्षण हेतु मनोनयन करने का क्रम करावे।

3. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, बीकानेर।

4. संबंधित प्राचार्यगण।

5. **Teac**

राजस्थान-सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
नागणेचीजी मंदिर के पास, बीकानेर

मांक: एफ./रीपा/संस्था/2020/ 2446

पुत्रा

IOAE

तिथि 03/03/2021

03/03/2021



दिनांक :- 03/03/2021

श्रीमान प्राचार्य
राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय
बीकानेर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेवोत्तम श्रेणी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के संबंध में।
प्रसंग :- क्रमांक: एफ.17(0)प्रशिक्षण/सीजीजी/रीपा/2019-20/409
दिनांक 03.03.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ह.च.मा. रीपा जयपुर के महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र पर सेवोत्तम विषयक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना है इस वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रशिक्षण सीजीजी के तत्वावधान में किया जावेगा प्रशिक्षण की अवधि एक दिन की होगी।

अतः प्रस्तावित किये गये उक्त प्रशिक्षण के लिए राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर के कार्यालय के 30 अधिकारी/कार्मिक का चयन करवाना है साथ ही दिनांक व स्थान का भी चयन होना है। इस हेतु महाविद्यालय के सभागार अथवा ह.च.मा. रीपा (ओटीएस) बीकानेर के हॉल नम्बर 11 में प्रशिक्षण के लिए अधिकारी व कर्मचारियों का मनोनयन करते हुये किसी कार्य दिवस की तिथि भी निर्धारित करते हुए सूचित कराने का श्रम करें।
संलग्न :- प्रतिलिपि पत्र, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।

(गोपाल राम बिरड़ा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक 791

दिनांक 4.03.2021

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,
बीकानेर

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेवोत्तम श्रेणी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक : एफ/रीपा/संस्था/2020/2446 दिनांक 03.03.2021

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के तहत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेवोत्तम विषयक प्रशिक्षणों का आयोजन हेतु दिनांक 17 मार्च 2021 की तिथि एवं महाविद्यालय का सभागार उपलब्ध करवाने की सहमति प्रदान की जाती है। साथ ही इस हेतु इस महाविद्यालय एवं बीकानेर जिले में स्थित विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के अधिकारियों के नाम संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तावित है।

संलग्न : सूची

भवदीय


(डॉ.शिशिर शर्मा)

प्राचार्य,

राज.महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर

राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर


प्रशिक्षण के आयोजन पर होने वाला खर्च सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस मद से किया जायेगा। जिसमें प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन 1000/रु का व्यय किया जा सकता है। प्रशिक्षण में 30 प्रशिक्षणार्थियों से अधिक नहीं हो एवं उदयपुर, जोधपुर, बीकनेर, कोटा सम्भाग के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों एवं किसी एन.जी.ओ से एक-दो कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

उक्त प्रशिक्षण भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाना है जो पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण किट में बैग, पेन, डायरी, पनड्राईव एवं अध्ययन सामग्री यथा ब्रोशर फीडबैक फॉर्म वितरित की जावे।

प्रस्तावित किये गये प्रशिक्षण अनुसूची के अनुरूप संकायों का चयन कर दिनांक 03.03.2021 तक अवगत कराएँ। साथ ही प्रशिक्षण मार्च माह में किस-किस दिनांक से किया जा रहा अवगत कराएँ जिससे प्रति प्रशिक्षणार्थी के अनुसार आपको बजट सीजीजी द्वारा स्थानान्तरित करवाया जा सके।

भवदीया



(ऋतु नन्दा)

अतिरिक्त निदेशक (बीमा) एवं
प्रभारी अधिकारी (सीजीजी)



348/321
सेन्टर फॉर गुड गवर्नन्स
CENTRE FOR GOOD GOVERNANCE
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 (राजस्थान)

दिनांक: 31/3/2021
अति-आवश्यक

क्रमांक: एफ.170/प्रशिक्षण/सीजीजी/रीपा/2019-20/409

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
ह.च.मा.रीपा, रानी रोड परिसर, उदयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
ह.च.मा.रीपा, जोधपुर।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
ह.च.मा.रीपा, बीकानेर।

अतिरिक्त निदेशक (लेखा)
ह.च.मा.रीपा, कोटा।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेवोत्तम श्रेणी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपके केन्द्र पर सेवोत्तम विषयक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना है जिसमें निम्न विषय सम्मिलित किये जायेंगे-

Topics of Sessions to be included in Training	
1.	Inaugural Address and background of Sevottam and the training
2.	Revisiting Redressal Mechanism with reference to Citizen Charter
3.	Curtain raiser on Sevottam
4.	Excellence in Public Service Delivery through Sevottam
5.	Rajasthan Sampark Portal
6.	Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011-Main Provisions
7.	Right to Hearing Act, 2012-Main Provisions
8.	Discussion and way Forward
9.	Vote of Thanks

इस वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रशिक्षण सीजीजी के तत्वावधान में किया जावेगा। प्रशिक्षण की अवधि एक दिन की होगी। प्रत्येक केन्द्र पर न्यूनतम 3-4 प्रशिक्षण आयोजित किये जातेगे।